



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या- (0755) 2551650, 2761567 फ़ैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक/ १५७ / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक /04/2014

प्राचार्य / संचालक
सेंटर फॉर हायर स्टडीज,
एलीमेन्ट्री टीचर एज्युकेशन डी.एड. कॉलेज,
प्लॉट नं.-89/11, पी.सी. नं.-48/51,
नीमखेड़ा, गौर तिराहा, मण्डला रोड़,
ग्राम सालीवाड़ा, तह. जबलपुर,
जिला-जबलपुर (म.प्र.)-482001


विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की पूर्ति विषयक अंतिम सूचना पत्र।
संदर्भ:- विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना पत्र क्र.-786/डी.एड.सेल/2014 दिनांक 16.04.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित संदर्भित पत्र का अवलोकन हो मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 16.04.2014 के अनुक्रम में आपके संस्थान द्वारा जवाब आज दिनांक तक मण्डल कार्यालय में अप्राप्त है। जबकि मण्डल द्वारा उक्तानुसार प्रेषित पत्र मण्डल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

1. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 के बिन्दु क्र.-09 में स्पष्ट उल्लेख है कि संस्थान संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा अनुमोदित संकाय सदस्यों की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेगा।
2. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.01.2012 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एन.सी.टी.ई. के प्रावधान एवं वर्तमान मापदण्ड के अनुसार ही प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय अपने क्षेत्र अन्तर्गत संचालित अशासकीय संस्थाओं के स्टाफ सिलेक्शन का कार्य एवं स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करेंगे। उक्तानुसार जारी निर्देश के बिन्दु क्र.-02 में स्पष्ट है कि किसी जिले के अशासकीय डी.एड. कॉलेज के स्टाफ चयन से संबंधित कार्यवाही स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करने के लिये उस जोन के प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय सक्षम अधिकारी होंगे जिसमें वह जिला सम्मिलित है।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र.-276/12 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में परीक्षा निकायों को निर्देशित किया गया है कि संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परीक्षा निकाय द्वारा संस्थान में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किये जाने विषयक शर्तें निर्धारित कर सकता है।

उक्त आधार पर परीक्षा निकाय होने की हैसियत से मण्डल का यह दायित्व बनता है कि वह संस्थान को संबद्धता देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संस्थान में एन.सी.टी.ई. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध हैं। अशासकीय डी.एड. संस्थाओं में शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं नियुक्त स्टाफ की फोटो युक्त सूची के प्रमाणीकरण हेतु प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा अधिकृत किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। जिसके पालन में मण्डल द्वारा भी संबद्धता संबंधी निर्देश दिनांक 22.02.2014 के बिन्दु क्र.-08 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। अतः अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 06.05.2014 तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक उक्तानुसार कमीपूर्ति न किये जाने पर यह मान लिया जावेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुये आपकी संस्था को प्रदत्त मण्डल की संबद्धता आगामी सत्र 2014-15 से समाप्त कर दी जावेगी।




सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 3.5 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र./ 94 / डी.एड.सेल/2014
प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, जबलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जारी अंतिम सूचना पत्र की तामील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।
3. चीफ सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर कक्ष, मा.शि.मण्डल, मुख्यालय भोपाल की ओर उक्त पत्र मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



क्रमांक / 788 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
विवेक ज्योति डी.एड. कॉलेज,
वार्ड नं.-24, सुरभि नगर, बालाघाट,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)-491001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 05.03.2014

--- / --- / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर प्रभारी प्राचार्य पी.जी. कॉलेज बालाघाट से हस्ताक्षरित स्टाफ सूची की प्रति संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 789 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, जबलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्यालय : (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 255.061

क्रमांक / 766 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
रेवानाथ चौरे शिक्षा महाविद्यालय,
बस स्टेन्ड के पास, सौंसर,
जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.)-480106

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक रहित।

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. आवेदन पत्र के साथ संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समूह के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः लेख है कि संस्था भवन के समक्ष संस्था में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों के 25-25 विद्यार्थियों का समूह बनाकर छायाचित्र मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार छायाचित्र दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,

भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 767 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, जबलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.

भोपाल



क्रमांक / 750 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
संस्था अयोध्या प्रसाद नर्मदा उच्चतर महाविद्यालय,
केन्ट जबलपुर,
जिला-जबलपुर (म.प्र.)-482001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दरतावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. आवेदन पत्र के साथ संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समूह के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं। उक्त के स्थान पर डी.एड. प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रवेश सूची संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्थान में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों के संस्थान के समक्ष 25-25 विद्यार्थियों के समूह में लिये गये छायाचित्र दिनांक 25.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 751 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, जबलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्यालय : (0755) 2551650, 2761567 फैक्स : (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 806 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
एफ.एल. सोलंकी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,
प्लॉट नं.-36/2, ग्राम खैरा पलारी,
पो. पलारी, तह. क्योलारी,
जिला-सिवनी (म.प्र.)-480991

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 04.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न की गई है, जिसके प्रथम पृष्ठ पर प्राचार्य शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर की हस्ताक्षर एवं मुद्रा अंकित है किन्तु द्वितीय पृष्ठ पर प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त समस्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की मूलप्रति दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 807 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, जबलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्यालय : (0755) 2551600, 2781567 फैक्स : (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 828 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति.

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
डॉ. राधाकृष्णन कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,
ग्राम करमेठा, राज्य परिवहन डिपो के सामने,
पाटन रोड, जबलपुर
जिला-जबलपुर (म.प्र.)-482002

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 06.03.2014।

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. आवेदन पत्र के साथ संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समूह के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः लेख है कि संस्था भवन के समक्ष संस्था में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों के 25-25 विद्यार्थियों का समूह बनाकर छायाचित्र मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार छायाचित्र दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

पृष्ठांकन क्र. / 829 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, जबलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी रा अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल



क्रमांक / 842 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति.

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
एस.एस.एन.एम.आई.एम.टी. कॉलेज,
जेल पुलिस लाईन के सामने,
स्टेशन रोड, नरसिंहपुर
जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.)-487001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 20 4-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची के स्थान पर शासकीय पी.जी. कॉलेज नरसिंहपुर द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची की मूलप्रति संलग्न की गई है, जो कि मान्य योग्य नहीं है। लेख है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
 2. आवेदन पत्र के साथ संस्था में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के संस्था के समक्ष किये गये समूह के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं। उक्त के स्थान पर मात्र संस्थान के छायाचित्र संलग्न किये गये हैं। लेख है कि संस्था में अध्ययनरत् प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के 25-25 छात्रों का समूह छायाचित्र मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
- अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार दस्तावेज दिनांक 25.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 843 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, जबलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



क्रमांक/840/डी.एड.सेल/2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

प्राचार्य/संचालक
विजयश्री एज्युकेशन इन्स्टीट्यूट,
915, सुभद्रा कुमारी चौहान मॉडल रोड,
महाकौशल नियर पेट्रोल पंप, जबलपुर,
जिला-जबलपुर (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधिता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 07.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर श्रीमती धर्मशीला मालवीय सहायक प्राध्यापक, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।
2. आवेदन पत्र के साथ संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समूह के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप संस्था में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित फोटो युक्त सूची एवं उपरोक्तानुसार छायाचित्र दिनांक 25.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबंधिता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

पृष्ठांकन क्र./841/डी.एड.सेल/2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, सेबा की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय - (0755) 255160, 2761567 फ़ैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 858 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
एस.पी.एन. महाविद्यालय,
खैरी नाका रोड़, नरसिंहपुर,
जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.)-487001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 05.03.2014

— / / —

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दरस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची की प्रति संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,

भोपाल

पृष्ठांक क्र. / 859 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, जबलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था का उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.

भोपाल